

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA, ा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER, सीप्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,

YEARS OF CELEBRATING

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.

कार्यालय आदेश संख्या <u>62</u> / 2019

कार्यालय आदेश संख्या 15/2017 दिनांक 11.5.2017 में आंशिक आशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश होने तक के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:-

संयुक्त विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां:-

क्रमांक	अनुभाग	कार्यों की सूची
1	सीप्ज़ - सेज़ / नया सेज़	 यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात एलओपी जारी करना ।
		 एनएसडीएल से संबंधित मामले ।
		• चुंगी छूट का अनुमोदन ।
		 यूनिटों को बिजली शुल्क छूट के लिए प्रमाणपत्र जारी करना ।
		 सेज़ यूनिटों को प्रारंभ प्रमाणपत्र अथवा ग्रीम कार्ड के बदले में प्रमाणपत्र
		जारी करना ।
		 प्रदर्शनी के लिए व्यक्तिगत रूप से आभूषण / वस्तुएं बाहर ले जाने हेतु
		अनुमोदन ।
		• नमूनों का निर्यात ।
		 किंबलीं सर्टिफिकेट जारी करना ।
		• जन संपर्क ।
		• जीएसपी कार्य का पर्यवेक्षण ।
		• यूनिटों को सेवाओं की डिफॉल्ट सूची का अनुमोदन ।
		• प्राइवेट सेज़ों में प्रोजेक्शनों में संशोधन किए बिना स्थान बढ़ाना /
		घटाना, इन्क्यूबेशन (प्राइवेट सेर्ज़ों में) के लिए स्थान ।
		• 3 महीनों के लिए सेज़ ऑनलाइन अस्थायी विस्तार ।
		 बंधपत्र सह विधिक वचनबंध स्वीकृत करना तथा जारी करना ।
		 विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन के पश्चात बहिर्गमन विधिक वचनबंध की स्वीकृति ।
		• आइईसी संशोधन ।
		 प्रयुक्त पूंजीगत माल के प्रापण की सूचना ।
		विकास आयुक्त द्वारा फाइल पर प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने के
		पश्चात यूएसी की कार्यसूची में शामिल करना ।
		• शुल्क वापसी के बदले में शुल्क वापसी की प्रतिपूर्ति ।
		 सभी सीआरए / सीएजी आपत्तियों पर कार्रवाई करना ।
		विकास आयुक्त के अनुमोदन से सभी संसद प्रश्नों तथा सरकारी संदर्भी
		पर कार्रवाई करना ।
		 सेज़ों के नए आवेदनों / नवीकरणों / ब्रॉडबेंडिंग / पूंजीगत मालों में वृद्धि
		से संबंधित द्वितीय कमियों के बारे में पत्र जारी करने के लिए
		प्राधिकृत ।
		 एपीआरों के प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी
		करना तथा न्यायनिर्णयन ।
2.	निर्यातोन्मुख यूनिट	• यूएसी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर एलओए जारी करना ।
	3- %	• विधिक वचनबंध का निष्पादन ।
		• विधिक वचनबंध के अनुशेष का अनुमोदन ।
		• नए / नवीकृत ग्रीन कार्ड जारी करना ।
		• अंतर यूनिट अंतरण से संबंधित अनुमति ।
		• आईईसी संशोधन / निर्गम ।



ar it als a second money or a fact or	9250.440.2	
		 अग्रिम डीटीए बिक्री तथा नियमित डीटीए बिक्री के लिए अनुमित ।
		• पुनः निर्यात / पुनः आयात के लिए अनुमति ।
		• सॉफ्टेक्स फॉर्मों का प्राधिकार ।
		• रद्दी / अपशिष्ट के निपटान की अनुमति ।
		 मालों के प्रतिस्थापन / मरम्मत की अनुमित ।
		 बिना शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन किए नाम के परिवर्तन की
		अनुमति ।
		• आइर्ड्सी नं. का आबंटन ।
		 विकास आयुक्त द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात ईओयू से अंतिम
		बहिर्गमन की अनुमति ।
		1
		• पूंजीगत माल की वृद्धि की अनुमति ।
		• प्रदर्शनी / दौरे के माध्यम से निर्यात की अनुमति ।
		• सीएसटी / डीबीके / टीईडी की प्रतिपूर्ति ।
		• विकास आयुक्त के अनुमोदन से उपर्युक्त कार्यों से संबंधित सभी
		विवादित मामले ।
		• एपीआर प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी
		करना / न्याय निर्णयन करना ।
		• विदेश व्यापार नीति के अनुसार गैर प्रोत्साहन / निःशुल्क बिक्री
		प्रमाणपत्र जारी करना ।
		• एमईआइएस / एसईआइएस से संबंधित कार्य ।
3.	श्रम	• औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन सुलह अधिकारी ।
		 निम्नितिखित मामलों में कार्रवाई करनाः-
		(क) बोनस अधिनियम, 1965
		(ख) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
		(ग) बाल मजदूरी (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986
		(घ) न्यूनतम मजद्री अधिनियम, 1948
		(ङ) संविदागत मजदूरी (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970
		(च) महाराष्ट्र कामगार न्यूनतम मकान किराया भत्ता अधिनियम, 1983
		(छ) वैयक्तिक प्रबंधन सलाहकार अधिनियम, 1946
		(ज) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
4	<u>चेत्र</u>	सीएसटी / डीबीके / टीईडी तथा आरओडी
4.	लेखा	सीएसटी / डीबीके / टीईडी तथा ड्रॉबैक के बदले में शुल्क वापसी से
		संबंधित सभी दावों की स्वीकृति ।
		• दूसरे हस्ताक्षरकर्ता के साथ किए गए दावों के संबंध में आरटीजीएस
		भुगतानों का अनुमोदन ।
5.	सूचना का अधिकार से	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रथम अपील से संबंधित सभी मामले ।
<u> </u>	संबंधित मामले	
6.	प्रशासन	• समूह 'ख' तक के अधिकारियों / कर्मचारियों की सभी प्रकार की
		छुद्दियां ।
		• विकास आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात समूह ख तक के अधिकारियों /
	•	कर्मचारियों के ज्ञापन जारी करना ।
		• रिक्तियों से संबंधित सभी मामले ।
		• पेन्शन से संबंधित सभी मामले ।
		• सरकारी संदर्भों / संसद प्रश्नों से संबंधित सभी मामले (विकास आयुक्त
		का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात) ।
		• एपीएआर से संबंधित सभी मामले ।
		• विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निविदाओं / क्रय
		से संबंधित सभी मामले ।



उप विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां

34 14	<u>कास आयुक्त को प्रत्यायोजित श</u>	<u>क्तिया</u>
1.	प्रशासन	 विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निविदाओं से संबंधित सभी अनुवर्ती मामले । वित्तीय शक्तियों के अनुसार क्रय से संबंधित सभी मामले । पेन्शन / सेवा निवृत्ति से संबंधित सभी मामले ।
2.	निर्यातोन्मुख यूनिट	सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित मामले । जीएसपी प्रमाणपत्र जारी करना ।
		 अंतर यूनिट अंतरण के मामलों से संबंधित सूचना । निम्न स्तर के तकनीशीयमों के रोजगार वीज़ा के लिए पात्रता प्रमाणपत्र ।
		पुनः निर्यात / पुनः आयात से संबंधित मामलों की सूचना । रद्दी / अपशिष्ट के निपटान से संबंधित मामलों की सूचना ।
		 मालों के प्रतिस्थापन / मरम्मत से संबंधित मामलों की सूचना ।
3	वित्तीय शक्तियों का	I. <u>पूर्ण शक्ति</u>
	प्रत्यायोजन	• बिजली बिलों का भुगतान ।
		• इंटरनेट प्रभार सहित कार्यालय / आवासीय टेलीफोन बिलों का
		भुगतान । • डाक टिकटों की खरीद ।
		• समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं की खरीद ।
		• जल प्रभारों का भुगतान ।
		• शिक्षण शुल्क / समाचार पत्रों की प्रतिपूर्ति ।
		II. <u>अनुमोदन के पश्चात</u>
		 संविदा के अनुमोदन के पश्चात आउटसोर्स स्टाफ का भुगतान ।
		 संविदा के अनुमोदन के पश्चात सभी एएमसी के बिलों का
		भुगतान ।
		• संविदा के अनुमोदन के पश्चात किराए पर लिए गए वाहनों का
		भुगतान ।
		• संविदा के अनुमोदन के पश्चात कार्टिजों सिहत कंप्यूटर
		कनज्यूमेबल्सों की खरीद ।
		III. <u>सीमित शक्ति</u>
		• कार्यालय के लिए लेखन सामग्री की खरीद 1,00,000/- रू. तक
		(एकबारगी) ।
		• फिक्सचर्स, फर्नीचर एवं मरम्मत 1,00,000/- रू. तक (एकबारगी) ।
	1	 गैर सरकारी प्रकाशन 5,000/- रू. ।
		• खरीदना, किराए पर लेना, सभी कार्यालय उपस्करों जिनमें डेडिकेटेड
İ		वर्क प्रोसेसर्स, इंटरकॉम उपस्कर, कलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेंसिल
	•	कटर, डिक्टाफोन्स, टेप रिकॉर्ड, फोटो कॉपियां, कॉपीइंग मशीनें,
		फ्रैकिंग मशीनें, एड्रसोग्राफ्स, फाइलिंग तथा इन्डेक्सिंग सिस्टम्स
		आदि शामिल हैं, का रखरखाव तथा मरम्मत - प्रतिमाह 15,000/-
11212		रू. तक ।
सहायक 1	विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित	
'	अनुभाग	 यूनिटों / विकासकों / सह विकासकों के सभी आवेदनों / अनुरोधों की जांच करने के पश्चात प्रथम किमयों से संबंधित पत्र ।
		 एलओए / सभी अनुमोदन / अनुमित के स्वीकृत किए जाने की
		स्चना ।
ĺ		 कर्मचारियों को डिज़िटल हस्ताक्षर जारी करने के लिए अनुमोदन
ļ		देना ।
İ		• सेज़ों तथा ईओयू के ईपीसीएस से संबंधित कार्य ।
	}	• पासपोर्ट प्रयोजन के लिए वास्तविक प्रमाणपत्र जारी करना ।
		• शुद्धिपत्र (केवल टंकण संबंधी त्रुटियों के लिए) जारी करना ।
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



- (i) संयुक्त विकास आयुक्त, पुणे को पुणे क्लस्टर के सेज़ मामलों में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ को प्राप्त हैं - सिवाय सीआरए, डीबीके, एमईआइएस, एसईआइएस से संबंधित कार्यों के तथा अन्य ऐसे कार्यों के जो सीप्ज़-सेज़ में केंद्रीय रूप से किए जाते हैं ।
 (ii) संयुक्त विकास आयुक्त, पुणे समूह "ख" तक के सभी अधिकारियों की सभी प्रकार की छुट्टियों के संबंध में कार्रवाई करेंगे । वे अभिलेख प्रयोजन के लिए अर्जित छुट्टियों के आवेदन सविआ, प्रशासन, सीप्ज़ को भिजवाएंगे ।
- 2. उप विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग विनिर्दिष्ट अधिकारी श्री आशीष मिश्र द्वारा किया जाएगा सिवाय उन शक्तियों के जो ईओयू से संबंधित हैं तथा जिनका प्रयोग उप विकास आयुक्त श्री महेश यादव द्वारा किया जा रहा है ।

हस्ता/-

विकास आयुक्त सीप्ज़-सेज़

दिनांकः¹⁹.8.2019

सं.सीप्ज़-सेज़/प्रशासन/273/08-09/1*6 855*

प्रतिलिपि:- (i) सभी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी

(ii) कार्यालय आदेश फाइल

(iii) कार्यालय आदेश रजिस्टर

(प्रवीप चंद्र)

संयुक्त विकास आयुक्त,

सीप्ज़ - सेज़



भारत सरकार / Government of India वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry, विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner, सीप्ज – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / Andheri (East), Mumbai – 400 096



OFFICE ORDER No. <u>62</u>/2019

In partial medication of Office Order no. 15/2017 Dated 11/05/2017, the following powers have been delegated with immediate effect and until further orders:-

POWERS DELEGATED TO JDC:

	I .	
1	SEEPZ SEZ/New SEZ	 Issue of LOA after approval of the proposal by Unit Approval Committee. Matters related to NSDL. Approval of Octroi exemption. Issue of Certificate for Electricity Duty exemption to Units. Issue of Commencement Certificate or Certificate in lieu of Green card to SEZ units. Approval for personal carriage of jewellery/Articles for exhibition. Export of samples. Issue of Kimberly Certificate. Public relations. Supervision of GSP work. Approval of default list of services to Units. Addition/deletion of space, incubation space (in private SEZs) without revision of projections in Pvt. SEZs. Temporary extension on SEZ online up to 3 months. Acceptance / issuance of Bond-cum-Legal Undertaking. Acceptance of Exit LUT on approval by DC. IEC amendments. Intimation of procurement of used capital goods. Agenda for UAC on approval of the proposal on file by DC. Re-imbursement of Refund of Duty in lieu of drawback. Attending all CRA/CAG objections. Attending to all Parliamentary Questions and Govt. References with the approval of DC. Authorized to issue 2nd deficiency letters related to new applications / renewals / broad banding / capital goods enhancement etc. related to SEZs. Issue of SCN/Adjudication for non-submission of
2	Export Oriented Unit	APRs only. Issue of LOA on approval by UAC. Execution of Legal Undertaking. Approval of Addendum to LUT. Issuance of fresh/renewed green card.

		Permission related to inter-unit transfer.
		IEC amendments/issuance. Per a la
		Permission for Advance DTA sale & regular DTA sale.
		Permission for re-export/re-import.
		Authorization of softex forms.
		Permission disposal of scrap/waste.
		Permission for replacement/repair of goods.
		Permission for change of name without changing
		shareholding pattern.
		Allotment of IEC No.
		Permission of final exit of EOU on approval by
		DC.
		Permission for enhancement of Capital goods. Permission for enhancement of Capital goods.
		 Permission for export through exhibition/tour. Re-imbursement of CST/DBK/TED.
İ		All disputed matters of above works with the
		approval of DC.
		Issue of SCN/Adjudication for non-submission of
		APRs.
		Issue of non incentive/free sale certificate in terms
		of FTP.
		MEIS/SEIS related woks.
3.	Labour	Conciliation Officer under Industrial Dispute Act.
		Dealing with matters pertaining to :-
		(a) Bonus Act, 1965.
		(b) Trade Union Act, 1926.(c) Child Labour (Prohibition & Regulation) Act,
		1986.
		(d) Minimum Wages Act, 1948.
		(e) Contract Labour (Regulation & Abolition)
		Act, 1970.
		(f) Maharashtra Workmen, Minimum House
		Rent Allowance Act, 1983.
		(g) Personal Management Advisory Service.
		(h) Industrial Employment (Standing Orders)
		Act, 1946.
4.	Accounts	CST/DBK/TED & ROD:-
		Sanction of all claims related to
		CST/DBK/TED/Refund of Duty in lieu of Drawback.
		Approval for RTGS payments in respect of the
		claims along with 2 nd signatory.
,		
5.	RTI matters	All matters related to First appeal under RTI Act.
6.	Administration	All kind of leaves up to Group B Officers/Officials.
		Issuance of Memorandum up to Group B
		Officers/Officials after DC's approval.
		Matters related to vacancies. Paraira related matters.
		 Pension related matters. Matters pertaining to Govt. references /
		Parliamentary Questions (after obtaining approval
		of DC).
		Matters related to APARs.
		Matters related to Tenders/Purchase after obtaining
		approval of DC.
	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

POWERS DELEGATED TO DDC:

1	Administration	All follow up matters related to Tenders after
		 approval of DC. All matters related to purchase as per Financial Power. All matters related to pension/retirement. Matters related to annual increment to the Govt. Employees.
2	Export Oriented Unit	 Issue of GSP certificate. Intimation related matters pertaining to inter-unit transfer. Eligibility certificate for employment visa for lower level technicians. Intimation related matters pertaining to reexport/re-import. Intimation related matters pertaining to disposal of scrap/waste. Intimation related matters pertaining to replacement/repair of goods.
3	Delegation of Financial Powers	 I. Full Power: Payment of Electricity Bills. Office/Residential telephone including internet charge/payment. Purchase of postal stamps. Purchase of news papers and Periodicals. Payment of water charges. Re-imbursement of tuition fee / Newspapers. II. After Approvals: Payment of outsourced staff after approval of contract; Bill payment of all AMCs after approval of contract. Payment of bills for hiring of vehicles after approval of contract.
		 Purchase of computer consumables including purchase of cartridges after approval of contract.
		III. <u>Limited Power</u> :
		 Purchase of Office Stationery up to Rs. 1,00,000/ (one time) Fixtures, Furniture and Repairs up to Rs. 1,00,000/ (one time) Non-official publication up to Rs. 5,000/ Purchase, Hire, Upkeep and repair of all Office Equipments including dedicated work processors, intercom equipments, calculators, electronic stencil cutter, Dictaphones, tape records, photo copies, copying machines, franking machines, addressographs, filling and indexing systems etc. up to Rs. 15,000/- per month.

POWERS DELEGATED TO ADCs:

1	Sections	Any first deficiency on scrutiny of all applications/request of the Units / Developers /
		Co-developers.
		• Intimation of acceptance of LoA/All approval/Permission.
		 Approval for issue of Digital Signature to Employees.
		 Work related to EPCES for SEZs & EOUs.
		Issuance of Bonafide Certificate for Passport
		purpose.
		 Issue of Corrigendum (for typographical error).

- 1. (i) JDC-Pune will have the same powers as JDC, SEEPZ in the SEZ matters of Pune Cluster except CRA, DBK, MEIS/SEIS related work and other works being centrally done in SEEPZ-SEZ.
 - (ii) JDC-Pune will look after all kind of leave of the Officers up to Group-B. He will send the Earned Leave application to ADC/Admin, SEEPZ for record purpose.
- 2. All the above delegated powers of DDC shall be exercised by Specified Officer, Shri Ashish Mishra, except the powers related with EOU, which is being exercised by DDC, Shri Mahesh Yadav.

Development Commissioner, SEEPZ-SEZ

No. SEEPZ-SEZ/ADMIN/273/08-09/\6655

Dated: 19/08/2019

To,

- 1. All Concerned Officers and staff.
- 2. Office Order File.
- 3. Office Order Register